उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ
CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या : 105 – का०वि०नी० एवं पे०प्र०–29/पाकालि/2020 दिनांक 10 फरवरी, 2020

कार्यालय–ज्ञाप

विद्युत सेवा आयोग द्वारा निर्गत विज्ञापन सं0–4/विसेआ/2014/टी0जी0–2/2211, के विरूद्ध सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित किये गये तकनीशियन ग्रेड–2 के कतिपय अभ्यर्थियों के CCC कम्प्यूटर प्रमाण पत्र की समकक्षता के सन्दर्भ में, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की एकल पीठ ने याचिका सं0–41750/2015 (प्रशान्त जयसवाल एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0) में पारित आदेश दिनांक 07.10.2017 के अनुपालन में विद्युत सेवा आयोग द्वारा चयनित किये गये उन तकनीशियन ग्रेड–2 की सेवाये समाप्त कर दी गयीं, जिनके पास शासनादेश सं0–2/2016/3/1/2015–का–2, दिनांक 03.05.2016 के अनुसार CCC अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र नहीं थे एवं आदेशानुसार नयी श्रेष्ठता सूची सृजित की गयी।

उक्त आदेश दिनांक 07.10.2017 के विरूद्ध विद्युत सेवा आयोग द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में दायर स्पेशल अपील सं0–585/2018 में पारित आदेश दिनांक 09.05.2019 के माध्यम से एकल पीठ द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 07.10.2017 को निरस्त कर दिया गया।

कालान्तर में स्पेशल अपील सं0–585/2018 में पारित आदेश दिनांक 09.05.2019 के विरूद्ध मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में स्पेशल अपील सं0–9026/2019 (मुकुल त्यागी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एंव अन्य), 9027/2019 व 9028/2019 योजित की गयी, जिसमें मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 16.12.2019 को पारित आदेश में, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की एकल पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.10.2017 को उचित ठहराते हुए, यह भी टिप्पणी की गयी कि उनके द्वारा कोई निर्देश नहीं दिया जा रहा है, परन्तु तकनीशियन ग्रेड–2, जिनकी सेवायें उपरोक्तानुसार समाप्त कर दी गयी है, वे कारपोरेशन के समक्ष अभ्यावेदन देने के लिए स्वतन्त्र है, एवं विभाग द्वारा विधि सम्मत निर्णय लिया जायेगा।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय के अनुकम में कतिपय अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन इस कार्यालय को प्राप्त हुये है, जिसमें उनके द्वारा कारपोरेशन में 3 साल की गयी सेवा अनुभव के आधार पर एवं वर्तमान में आयु सीमा से बाहर हो जाने का उल्लेख किया गया है।

सूच्य है कि वर्तमान में निदेशक मण्डल के अनुमोदन के उपरान्त कार्यालय ज्ञाप सं0–135–विनियम एवं काविनी/पाकालि/2017–68–विनियम/2015, दिनांक 05.09.2017 के द्वारा तकनीशियन ग्रेड–2 (विद्युत) के पद पर सीधी भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हता एवं परीक्षा की प्रक्रिया में मूलभूत परिवर्तन करते हुए कम्प्यूटर शिक्षा सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने के स्थान पर कम्प्यूटर

(क्रमशः .... 2)

Scanned with CamScanner

सम्बन्धी ज्ञान की लिखित परीक्षा का प्राविधान किया गया। लिखित परीक्षा के प्रथम भाग में कम्प्यूट सम्बन्धी ज्ञान को परखने हेतु 50 अंको की वस्तुनिष्ठ परीक्षा में 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य कर हुये लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग तकनीकी ज्ञान को मूल्यांकन हेतु आधार माना गया। लिखित परीक्ष के प्रथम भाग (कम्प्यूटर सम्बन्धी परीक्षा) को क्वालीफाई न करने वाले अभ्यार्थियों को अर्ह न मानते हुये लिखित परीक्षा का द्वितीय भाग का मूल्यांकन नहीं किये जाने का प्राविधान किया गया है। कम्प्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग में प्राप्त किये गये अंको को श्रेष्ठता निर्धारण हेतु जोड़े नहीं जाने का प्राविधान किया गया है। रिक्त पदो के सापेक्ष उक्त अभ्यर्थियों को बिना नियत चयन प्रकिया का पालन किए समायोजित किये जाने के सन्दर्भ में वर्तमान विनियमावली में न तो कोई प्राविधान है और न ही यह न्यायोचित अथवा औचित्यपूर्ण है।

अतः प्राप्त अभ्यावेदनों पर कारपोरेशन द्वारा विधि सम्मत सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उपरोक्त निष्कासित अभ्यार्थियों को, जो प्रतियोगिता हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा को पार कर चुके है, विशेष परिस्थितियों में उन्हे अधिकतम आयु सीमा में आवश्यक छूट प्रदान करते हुये, बतौर अभ्यर्थी प्रतिभाग लेने का "एक अन्तिम अवसर" प्रदान किया जायेगा। आयु सीमा मे प्रदान की गयी शिथिलता केवल अगले विज्ञापन में मात्र एक ही बार अनुमन्य होगी तथा चयन का आधार विनियामवली के अनुसार नियत श्रेष्ठता होगी।

अध्यक्ष

सं0–105–(1)–कार्विनी एवं वे0प्र0–29/पाकालि/2020, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव (ऊर्जा) बापू भवन, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के निजी सचिव ।
2. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 / उ0प्र0पा0ट्रॉ0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0 / उ0प्र0पा0ट्रॉ0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. प्रबन्ध निदेशक, केस्को, कानपुर / पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी / पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ / मंध्याचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ / दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा।
5. समस्त निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 / उ0प्र0पा0ट्रॉ0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ ।
6. अध्यक्ष / सचिव, विद्युत सेवा आयोग, एसएलडीसी परिसर, निकट मंत्री आवास, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
7. मुख्य अभियंता (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।
8. अपर सचिव–प्रथम / द्वितीय एवं तृतीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ ।
9. विधि अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ ।

आज्ञा से,

(दीपक श्रीवास्तव) 07/20

संयुक्त सचिव (कार्विनी)

Scanned with CamScanner